

आम सूचना

“सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. परीक्षा वर्ष 2008 में फर्जिरूप से सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की गई है, के संबंध में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर एवं माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर के समक्ष केवियट दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर एवं माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर में याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति मण्डल के अधिवक्ता-श्री पुरुषेन्द्र कौरव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, H.N.30, Scheme No.14, Behind SBI Regional Office Vijay Nagar, Jabalpur M.P. Mob.(9425410910), श्री एम.पी.एस. रघुवंशी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सी-1 जवाहर कालोनी, लशकर ग्वालियर मो.नं.(09425111335) एवं श्री मनोज द्विवेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, 1078 ए-स्कीम नं.-114/2 अनुराग नगर इंदौर मो.नं-9826057711 (म.प्र.) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। “

संचालक,
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,
भोपाल